

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/253

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री दिलीप कुमार मेघवाल

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी

निवासी सिंथरथ


तहसीलदार सिरौही

तहसील सिरौही

जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 42 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर तारीख इस हुकम के तामिल में सारी हुक
03.09.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 11.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 07.07.2025 को ग्राम पंचायत सिंथरथ में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाडा अन्तर्गत आयोजित कैम्प में ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार सिरौही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों व विभाग को अग्रेषित किए गए। उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 11.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 07.07.2025 को ग्राम पंचायत सिंथरथ में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाडा अन्तर्गत आयोजित कैम्प में ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार सिरौही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों व विभाग को अग्रेषित किए गए। उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलारा सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  (अल्पी चौधरी) जिला कलक्टर, सिरौही </p>	